

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का वित्तीय अध्ययन

डॉ. रूपेश कुमार जमरे*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – साधारण बैंक उस संस्था को कहते हैं जो जनता से ब्याज पर धन प्राप्त करती है तथा व्यापारियों एवं अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर उधार देती हैं भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में बैंक को इस प्रकार समझाया गया है बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का कार्य करती हो बैंकिंग का अभिप्राय उधार देने के लिए या विनियोग करने के लिए जनता से ऐसे नि प्रपो को स्वीकार करना है जिसका मांगने पर अथवा चेक ड्राफ्ट आदि द्वारा भुगतान किया जाता है। आधुनिक बैंकों का शुभारंभ 17 वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ माना जाता है जबकि सन 1609 में बैंक ऑफ अमस्टरडम सन 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग और सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुए। धीरे-धीरे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तथा विकास में बैंकों का महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किए जाने लगे। बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों का रूपया जमा या प्राप्त करता है जिसे यह उन व्यक्तियों के चेक स्वीकार करके भुगतान करता है।

जिनके द्वारा या जिनके खाते में यह रूपया जमा किया गया है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1950 की धारा 5स के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है अधिनियम की धारा 5ब के अनुसार बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से जमा प्राप्त करना है जिसे मांग पर अथवा अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सके।

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना एवं विकास– प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार निमाइ क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 जून 1982 को की गई जिसका मुख्यालय खरगोन जिला रखा गया। बैंक की स्थापना 2 जिलों पश्चिम निमाइ खरगोन एवं पूर्वी निमाइ खंडवा को कार्यक्षेत्र का आधार बनाकर की गई। निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामान्य प्रबंधन हेतु अधिनियम 1976 के अनुसार निदेशकों एक बोर्ड गठित किया गया है। निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना वर्ष 1982 में बैंक की कुल जमा राशि मात्र 5 लाख 76 हजार रुपये थी जो मार्च 2006 में 31533.75 लाख रूपए हो गई। यह जमा राशि वर्ष 1996-97 में 8663.31 लाख रूपए थी। पिछले 10 वर्षों के दौरान बैंक की जमा राशि में वृद्धि प्रतिशत को निम्न प्रकार निकाला गया है।

वर्ष	राशि लाख रू. में
2005-06 कि जमा राशि	31533.75
1996-97 कि जमा राशि	8663.31
10 वर्षों के दौरान वृद्धि	22870.44

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{10 \text{ वर्षों के दौरान वृद्धि} \times 100}{1996-97 \text{ कि जमा राशि}}$$

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{22870.44 \times 100}{8663.31} = 277.04\%$$

अर्थात् बैंक ने वर्ष 1996-97 से 2005-06 तक कुल 10 वर्षों के दौरान जमा राशि में 277.04 प्रतिशत की वृद्धि की जिस प्रकार जमा राशि में वृद्धि की है उसी प्रकार बैंक के विभिन्न प्रकार के खातों में भी वृद्धि हुई है जो अब प्रकार से है।

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 10 वर्षों 1996-97 से 2005-06 तक के विभिन्न खातों की स्थिति:-

खातों के प्रकार	वर्ष 1996-97 में खातों की संख्या	वर्ष 2005-06 तक खातों की संख्या
चलू खाता	1648	1740
बचत खाता	83635	144588
मियादी खाता	25204	36274
कुल खातों कि संख्या	110487	182602

इस प्रकार खातों में वृद्धि एवं वृद्धि प्रतिशत अब प्रकार निकाला गया है-

वर्ष 2005-06 में खातों कि संख्या - 182602

वर्ष 1996-97 में खातों कि संख्या - 110487

10 वर्षों के दौरान वृद्धि - 72115

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{10 \text{ वर्षों के दौरान वृद्धि} \times 100}{1996-97 \text{ में खातों कि संख्या}}$$

$$\text{वृद्धि\%} = \frac{72115 \times 100}{110487} = 65.27\%$$

अर्थात् बैंक के कुल खातों कि संख्या में पिछले 10 वर्षों के दौरान 65.27 प्रतिशत कि वृद्धि हुई है।

निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य, कार्यक्षेत्र:

1. बैंक की स्थापना मुख्य रूप से सुदूर ग्रामीण अंचलों में मुलभूत बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीणों की बचतों के संग्रहण के दृष्टिकोण से की गई थी।

2. इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जनसमूह, सीमांत कृषकों, कृषक, श्रमिकों तथा फुटकर व्यापारियों को उनके आर्थिक क्रियाकलापों तथा कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योगों आदि को ऋण सुविधा प्रदान

करना तथा कृषि विकास हेतु उत्पादन के साधन जैसे खाद, बीज, औजार सिंचाई शुकर पालन, बायोगैस तथा गोबर गैस आदि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं।

3. निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्य अपने परिचालन क्षेत्र के खेती के काम के लिए या उससे संबंधित अन्य प्रयोजनों हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों तथा खेतीहर मजदूर को पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से सहकारी समितियों, कृषि अभिसंस्करण समितियों प्राथमिक कृषि ऋण समितियों सहकारी कृषि समितियों या कृषक सेवा समितियों को ऋण एवं अग्रिम मंजूर करना है।

4. इसके अतिरिक्त अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में आने वाले व्यापार, वाणिज्य या अन्य उत्पादक कार्यों में लगे कारीगरों उद्योगियों एवं कम साधन वाले व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों में ऋण एवं अनुदान प्रदान करने का कार्य निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाता है।

5. बैंक का कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाइ खरगोन एवं बड़वानी जिला तथा पूर्वी निर्माण खंडवा एवं बुरहानपुर जिला में है प्रारंभ में बड़वानी जिला खरगोन जिले में तथा बुरहानपुर जिला खंडवा जिले में शामिल था तब बैंक का कार्यक्षेत्र दो जिलों में था किंतु बड़वानी जिला खरगोन से एवं बुरहानपुर जिला खंडवा से अलग होने पर वर्तमान में बैंक का कार्यक्षेत्र चार जिलों तक सीमित है अर्थात् संपूर्ण निमाइ अंचल के चार जिलों में बैंक अपना कार्य कर रही है।

बैंकों के प्रकार – बैंक बहुत से व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए सामूहिक कोष का द्योतक है बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा में व्यवहार करती है जहां धन जमा, संरक्षण तथा निगमन होता है जहां ऋण एवं कटौती के साथ धन के अंतरण की व्यवस्था भी की जाती है।

1. देसी साहूकार– देसी साहूकार बैंक की परिधि में नहीं आते क्योंकि वह बैंक के सभी सामान्य कार्य नहीं करते हैं जैसे जनता से जमा न स्वीकार करना, प्रमुख व्यवसाय न होना, जमा देना जीवन निर्वाह का साधन नहीं होता है तथा उन्हें समाज में बैंक के रूप में ना जानकर व्यापारी साहूकार महाजन सेट लालजी हरि नाम से जाना जाता है आधुनिक बैंक के कार्य तथा सेवाएं प्रदेश प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में बैंक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करते हैं देश में प्रचलित मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग उनके नियंत्रण में रहता है और वह मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। निक्षेप स्वीकार करना आधुनिक बैंकों का यह एक मौलिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है साख निर्माण और अन्य वित्तीय सेवाओं का आधार निक्षेप स्वीकार करना ही है सभी प्रकार के निक्षेप राशियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निक्षेपों के कई रूप रखे गए हैं। सउदी जमा खाता सउदी जाम से तात्पर्य खाते में ऐसी जाम से है जो किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही वापस की जा सकती है इस खाते में प्रायः कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 120 माह की अवधि के लिए जमाई स्वीकार की जाती है नंबर दो बचत बैंक खाता की व्यवस्था की जाती है जिसे बचत बैंक खाता कहते हैं इस खाते में छोटी-छोटी रकमें भी जमा की जा सकती है इस प्रकार के खातों में जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता किंतु निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल एक या दो बार ही दी जाती है कुछ बैंक कारण राशि पर भी प्रतिबंध लगाते हैं इन खातों पर ब्याज दिया

जाता है परंतु सा अवधि जमाव की तुलना में कम होता है वर्तमान में भारतीय बैंकों द्वारा बचत खातों पर सामान्यतः 4% ब्याज दी जाती है।

2. चालू खाता यह खाता उद्योगपतियों व्यापारियों व व्यापारिक संस्थाओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक एवं उपयोगी होता है इस खाते की विशेषताएं यह हैं कि इसमें किसी भी समय कितनी भी रकम या रक्त में जमा कराई जा सकती है और अवश्यकता अनुसार कितनी भी बार निकाली जा सकती है चालू खाते में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता या नाम मात्र का ब्याज दिया जाता है प्रायः अक्षय बैंकों द्वारा चालू खातों पर कुछ आपस में सुनकर लिया जाता है।

3. घरेलू बचत खाता कुछ बैंक अपने ग्राहकों को लोहे की एक मारवाड़ी गीत गुल्लक या तिजोरी देते हैं। जिसमें ताला लगा दिया जाता है और चाबी बैंक के पास रख ली जाती है ग्राहक इस गुल्लक या तिजोरी में समय-समय पर मुद्रा या राशि डालता रहता है और कुछ समय एक दो या तीन महीने पश्चात इस गुल्लक को बैंक में ले जाकर पूरी तरह जमा रकम निकलना निकलवा देता है बैंक इस रकम को ग्राहक के खाते में जमा कर देता है।

4. अनिश्चितकालीन जमा खाता इस खाते में से जमा राशियों को कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कभी नहीं निकाला जाता है बैंक इस प्रकार के खातों पर केवल ब्याज का भुगतान करता इस खाते में जमा रकम पर आंशिक दर से ब्याज दिए जाते हैं क्योंकि यह अनिश्चितकालीन जमाई होती है उंची इस प्रकार के खाते भारत में लोकप्रिय नहीं है।

5. आवर्ती जमा खाता यह खाता मुख्य रूप से उन जमा करता हूँ के लिए जो अपनी छोटी-छोटी बचत के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक पुख्ता रकम जमा करना चाहते हैं।

निष्कर्ष – निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जन-समूह, सीमांत कृषक, कृषक श्रमिकों तथा कुटकर व्यापारियों को उनके आर्थिक क्रियाकलापों तथा कृषि, कुटीर, एवं लघु उद्योगों आदि को ऋण सुविधा प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना निमाइ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य है इसके अतिरिक्त अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में आने वाले व्यापार वाणिज्य या अन्य उत्पादक कार्यों में लगे कारीगरों उद्योगियों व कम साधन वाले व्यक्तियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के आर्थिक विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों में ऋण व अनुदान प्रदान करने का कार्य निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाता है। निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्य अपने परिचालन क्षेत्र के खेती के काम के लिए या उससे संबंधित अन्य प्रयोजनों हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों तथा खेतीहर मजदूर को पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से सहकार समितियों कृषि अभिसंस्करण समितियों प्राथमिक कृषि ऋण समितियों सहकारी कृषि समितियों या कृषक सेवा समितियों को ऋण एवं अग्रिम मंजूर करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Banking law and practice in India प्रो. वी पी अग्रवाल, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
2. banking and Insurance प्रो. वी पी अग्रवाल, सुधीर कुमार शर्मा साहित्य भवन पब्लिकेशन।
3. www.rbi.com.in
4. www.sbi.com.in
5. www.ibps.com.in